



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

तकनीकी ई0 निविदा

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए आयोग कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान/बागवानी कार्य/रख-रखाव की व्यवस्था हेतु निविदा:-

1. एजेन्सी/फर्म का उत्तराखण्ड में GST पंजीकरण संख्या.....
(पंजीकरण प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय)
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1,770/- (रु. एक हजार सात सौ सत्तर)
बैंक ड्राफ्ट नं0.....दिनांक
- बैंक एवं बैंक शाखा का नाम
- धनराशि रु. जो सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में है।
(बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाय)
3. धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 संख्या.....दिनांक
- बैंक एवं बैंक शाखा का नाम
- धनराशि रु. 50,000.00 (रु0 पचास हजार)
एफ.डी.आर. फर्म के नाम होगी तथा सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के नाम बन्धक हो। (एफ0डी0आर0 संलग्न की जाय)
4. आयकर रिटर्न, गत 03 वर्ष का। (2017-18, 2018-19, 2019-20)
5. (प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय)
6. जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)।
7. हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें हैसियत कम से कम धनराशि रु. 20,00000 (बीस लाख रु0) होनी आवश्यक है। हैसियत प्रमाणपत्र 06 माह से पुराना नहीं होना चाहिए।
8. CA द्वारा जारी किया गया पिछले तीन वर्षों का टर्न ओवर प्रमाणपत्र, जो कि गत 03 वर्ष में 50 लाख से कम न हो।
9. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम 03 शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों में उद्यान/बागवानी कार्य/रख-रखाव से सम्बन्धित किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक :-1366/व्यवस्था-ई0 निविदा-बागवानी कार्य/2020-21, दिनांक 21 अगस्त, 2020 हेतु निर्गत निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थान :

दिनांक :

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि का नाम

फर्म का नाम

पूरा स्थायी पता

फोन नं0 कार्यालय

मोबाइल फोन नं0

3



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

वित्तीय ई0 निविदा

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए आयोग कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान/बागवानी कार्य/रख-रखाव की व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा www.uktenders.gov.in से Downloaded Excel Sheet (BOQ) पर भरकर www.uktenders.gov.in पर ई-निविदा भरते समय यथास्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

Tender Inviting Authority: **SECRETARY, UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION, HARIDWAR**


Name of Work: Hiring of Firms/Agencies in UKPSC, Haridwar for the F.Y-2020-2021 & 2021-2022 for Gardening work in Office Building/Exam Building Campus and Residential Colony with equipments and items

Contract No: 1360 /Vyavastha-E-Nivida-Bagwani Work/2020-21

Name of the Bidder/Bidding Firm/Company:				
PRICE SCHEDULE				
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after Filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)				
NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER#	TEXT #
Sl. No.	Item Description	RATE In Figures To be entered by the Bidder Rs. P.	TOTAL AMOUNT With Taxes in Rs. P.	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	13	53	55
1	Hiring of Firms/Agencies UKPSC, Haridwar for the F.Y-2020-2021 & 2021-2022 for Gardening work in Office Building/Exam Building Campus and Residential Colony with equipments and items (Rates should be quoted on monthly basis)			
Total in Figures				
Quoted Rate in Words				

3

[Handwritten Signature]



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

पत्रांक:-1360 / व्यवस्था-ई0 निविदा-बागवानी कार्य / 2020-21,

दिनांक :- 21 अगस्त, 2020

ई0 निविदा सूचना

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिये कार्यालय परिसर/परीक्षा भवन परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान/बागवानी कार्य/रख-रखाव की व्यवस्था हेतु कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 अथवा केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग में सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत एजेन्सी/फर्मों से द्वि ई0 निविदा प्रणाली (e-tendering) (Two Bid System Technical/Financial) के द्वारा e-tendering Portal www.uktenders.gov.in पर निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती हैं।

1.	कार्य का नाम	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए आयोग कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान/बागवानी कार्य/रख-रखाव की व्यवस्था
2.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 1,500.00 + 270.00 (GST 18 %) = रु. 1,770.00 (रु. एक हजार सात सौ सत्तर)
3.	निविदा (http://www.uktenders.gov.in) पर ऑनलाईन उपलब्ध होने की तिथि	22/08/2020 को 12:00 बजे
4.	निविदा प्रपत्र (http://www.uktenders.gov.in) से डाउनलोड किये जाने की तिथि	22/08/2020 से 07/09/2020 सांय 06:00 बजे तक
5.	तकनीकी एवं वित्तीय बिड को Online Upload किये जाने की तिथि	22/08/2020 से 07/09/2020 सांय 06:00 बजे तक
6.	तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	(a) तकनीकी बिड 08/09/2020 को 12:00 बजे (b) वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि, तकनीकी बिड की जांच के बाद समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

E-tendering Portal www.uktenders.gov.in पर E-Bid भरने के पश्चात, E-tendering Portal पर अपलोड किये गये Technical Document के मूल पत्र भौतिक रूप से डाक/कार्यालय काउन्टर पर दिनांक 08 सितम्बर, 2020 की पूर्वाह्न 11:00 बजे तक Sealed Envelope में बंद कर, लिफाफे के बाहर तकनीकी निविदा लिख कर आयोग कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि की एफ.डी.आर. संलग्न किया जाना आवश्यक है। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलने के समय उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं।

इस हेतु निविदा की शर्तें, निविदा प्रपत्र आदि आयोग की वेब साइट www.ukpsc.gov.in एवं www.uktenders.gov.in में देखे जा सकते हैं/डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ई0 निविदा की शर्तें :-

1. ई0 निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1,500.00 + 270.00 (GST 18 %) = रु. 1,770.00 (रु. एक हजार सात सौ सत्तर) निर्धारित है, जिसका बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में होगा, जिसकी Scan Copy, www.uktenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा भरते समय अपलोड करना होगा एवं मूल प्रति निविदा के प्रपत्रों के साथ संलग्न कर भौतिक रूप में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करना होगा। निविदा प्रपत्र की धनराशि Non-refundable होगी।
2. ई0 निविदा फॉर्म के साथ रु. 50,000.00 (रु. पचास हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (EMD) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि एफ0डी0आर0 फर्म के नाम होगी तथा सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में बन्धक (pledged) होनी चाहिए। EMD हेतु बनायी गयी एफ0डी0आर0 की Scan Copy, www.uktenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा भरते समय अपलोड करना होगा एवं मूल प्रति निविदा के प्रपत्रों के साथ संलग्न कर भौतिक रूप में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करना होगा।
3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट रूल नियमावली-2017 के पैरा नियम-13 (2) के अन्तर्गत दो निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जा रही हैं।
क- तकनीकी ई0 निविदा:- तकनीकी ई0 निविदा में व्यापारिक शर्तों और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हों।
ख- वित्तीय ई0 निविदा:- वित्तीय ई0 निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लेखित मदों के लिए मदवार मूल्य का उल्लेख होगा।
4. केवल उन्हीं निविदा दाताओं का वित्तीय ई0 निविदा खोली जायेगी, जिन्होंने तकनीकी निविदा में सफलता प्राप्त की हो तथा तकनीकी निविदा में सफल न होने पर संबंधित फर्म की वित्तीय निविदायें नहीं खोले जायेंगे।
5. जिस फर्म/एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसकी कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि के रूप में जमा करायी जायेगी। अन्य की धरोहर राशि उनके निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापस कर दी जायेगी।
6. सशर्त निविदा किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी।
7. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा कर्मियों को श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत न्यूनतम देय धनराशि से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। न्यूनतम देय से कम मजदूरी देने पर सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा एवं उनकी अर्नेस्टमनी को आयोग द्वारा जब्त कर दिया जाएगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का होगा।
9. भुगतान की दशा में नियमानुसार देय आयकर तथा अन्य कर की कटौती की जायेगी।
10. जिस पंजीकृत एजेन्सी/फर्म की निविदा स्वीकृत होगी, उनके द्वारा कार्य आदेश के तुरन्त 24 घण्टे के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की स्थिति में, जमानत धनराशि जब्त करते हुये, सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को ब्लैक लिस्टेड भी घोषित किया जा सकता है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म का होगा।
11. तैनात कर्मियों द्वारा आयोग परिसर में धूमपान/मादक द्रव्यों का सेवन करना वर्जित होगा।


≡



12. स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म द्वारा जो भी कर्मी आयोग में तैनात किये जायें, वे मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वस्थ हों एवं 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के न हों तथा उपरोक्त कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त हों और उनका पूर्ववृत्त अच्छा हो। अनुभवी कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक कर्मी को आठ घण्टे ड्यूटी करना अनिवार्य होगा।
13. तैनात किये गये कर्मियों से सुचारु रूप से कार्य कराने हेतु ठेकेदार द्वारा अपने पर्यवेक्षक/सुपरवाइजर की तैनाती की जानी अनिवार्य होगी, जो सम्बन्धित कर्मियों से ड्यूटी लिस्ट के अनुसार कार्य करा सकें तथा उनके कार्यों का सत्यापन कर देय बिल के साथ अपनी रिपोर्ट संलग्न कर सकें ताकि बिलों के भुगतान में किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रह सके। तैनात किये गये पर्यवेक्षक को स्वीकृत ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से भुगतान किया जायेगा। आयोग से इस सम्बन्ध में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. आयोग में स्वीकृत ठेकेदार द्वारा माह में कर्मियों की तैनाती की जानी आवश्यक होगी एवं आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होगा। यदि किसी भी कर्मी को अवकाश की आवश्यकता होगी, तो स्वीकृत ठेकेदार द्वारा नियमानुसार उसका अवकाश अपने स्तर पर स्वीकृत किया जायेगा तथा उसके स्थान पर अन्य कर्मी की तैनाती अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व की जानी आवश्यक होगी ताकि आयोग के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके।
15. उद्यान/बागवानी कार्य/रख-रखाव से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं :-
 - क. आयोग परिसर में स्थित उद्यान/लॉन/गमलों में लगे पेड़-पौधों की सिंचाई/निराई/गुड़ाई/खाद की व्यवस्था आदि कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। यदि पेड़-पौधों की निराई/गुड़ाई तथा उन्हें सिंचित करने का कार्य समयानुसार ठेकेदार द्वारा नहीं किया जाता है तो इससे पेड़-पौधे सूख जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पेड़-पौधों की कीमत के अनुसार उनकी भरपाई की वसूली फर्म/ठेकेदार से की जायेगी।
 - ख. बागवानी कार्य हेतु झाड़ू, टोकरी, कटर, खुरपी, फावड़ा, दराती एवं सिंचाई हेतु पाईप आदि उपकरणों की आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं फर्म/ठेकेदार को करनी होगी।
 - ग. उद्यान एवं लॉन आदि के रख-रखाव की व्यवस्था संतोषप्रद न होने की दशा में आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि की वसूली फर्म/ठेकेदार से दण्डस्वरूप की जायेगी।
 - घ. समय-समय पर उद्यान/लॉन/गमलों आदि के लिए जो भी फूलों के बीज/पौधे, गमले, खाद आदि लगाने की आवश्यकता होगी, उसकी आपूर्ति हेतु आयोग के अधिकारियों के बताने पर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
 - ङ. उद्यान/लॉन से लगी नालियों की सफाई माली द्वारा की जायेगी। ठेकेदार के माली द्वारा प्रभावी सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जायेगा।
 - ट. लॉन के रख-रखाव कार्य के फलस्वरूप लॉन से निकली गयी घास/कूड़े आदि का निस्तारण फर्म/ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
16. निर्धारित कार्य अवधि में कार्मिकों की कार्यस्थल पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
17. कार्य में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों को किसी भी दशा में स्वीकृत ठेकेदार द्वारा तैनाती नहीं दी जाएगी तथा उसे तुरन्त कार्य से हटाना होगा।
18. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर ही माह पूर्ण होने पर फर्म/ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
19. शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

20. फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान माह समाप्त होने के सात दिन के भीतर करना सुनिश्चित करेगा। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को तैनात किये गये कर्मियों को दी जाने वाली विधिक सुविधायें नियमानुसार प्रदान करनी होंगी तथा विधिक देयकों का भुगतान समय पर सम्बन्धित विभाग/संस्था को किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा।
22. फर्म/ठेकेदार द्वारा तैनात किये गये कर्मियों की बीमारी एवं उनके साथ घटित कोई भी अप्रिय घटना हेतु आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म/ठेकेदार का होगा।
23. स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा जो भी कर्मी आयोग में तैनात किये जायेंगे, उनका पुलिस सत्यापन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत ठेकेदार का होगा। जिन कर्मियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है उन्हें ही आयोग में नियुक्त किया जाये तथा सत्यापन की एक प्रति आयोग के रिकार्ड्स हेतु भी उपलब्ध करायें। पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट छः माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।
24. स्वीकृत ठेकेदार द्वारा आयोग में तैनात किये गये कर्मियों के द्वारा यदि आयोग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की जाती है अथवा ऐसा कृत्य किया जाता है, जो **civil wrong** की श्रेणी में आता है तो उसके लिए ठेकेदार/फर्म भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत ठेकेदार का होगा।
25. ई0 निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को आयोग के साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरना अनिवार्य होगा। यह अनुबन्ध उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।
26. आयोग द्वारा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। साथ ही फर्म/ठेकेदार द्वारा भी एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किए जाने हेतु आयोग को सूचित किया जा सकता है।
27. कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर आयोग को यह अधिकार होगा कि वह 10 दिन की पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दे। इससे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
28. फर्म/ठेकेदार तथा ठेकेदार कर्मी के बीच यदि कोई विवाद/दुर्घटना होती है। इसका उत्तरदायित्व आयोग का नहीं होगा।
29. आयोग में ठेकेदार द्वारा नियुक्त ठेकाकर्मी आयोग परिसर एवं आवासीय परिसर की गरिमा एवं गोपनीयता बनाये रखेंगे, यदि किसी कार्मिक द्वारा आयोग की गरिमा/गोपनीयता के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो सम्बन्धित कार्मिक को 24 घंटे के अन्दर आयोग से हटाना होगा। सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही भी की जाएगी, जिसके लिए सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार भी जवाबदेह होगा।
30. ठेकेदार द्वारा नियुक्त माली आदि को प्रत्येक दिन (कार्यदिवस/अवकाश) 8:00 बजे प्रातः आयोग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक किए गये कार्य का विवरण दैनिक आधार पर किया जाय ताकि तदनुसार सत्यापन किया जा सके।
31. ठेकेदार उक्त कार्य हेतु अनुभवी मालियों को ही नियुक्त करेगा एवं साथ ही परिसर में एक नर्सरी भी विकसित (Develope) करेगा जिसमें मौसम के अनुसार पौधे (सीजनली फूल) तैयार किये जायेंगे।
32. स्वीकृत ठेकेदार कम से कम 12 माली आयोग में अवश्य नियुक्त करेगा।
33. निविदा प्रतिमाह की दर के आधार पर प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।





34. किसी भी विवाद की दशा में दोनों पक्षों की ओर से अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, सोल आरविट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
35. निविदा स्वीकृत करने हेतु यदि किसी भी प्रकार का प्रभाव फर्म द्वारा डाला जाता है, तो उसे निविदा हेतु अयोग्य माना जायेगा।
36. निविदा के साथ पंजीकृत एजेन्सी/फर्म के द्वारा निम्नानुसार प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना साथ ही www.uktenders.gov.in पर ई-निविदा भरते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
 1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1,770.00 (रु. एक हजार सात सौ सत्तर) का बैंक ड्राफ्ट एवं रु. 50,000.00 (रु. पचास हजार मात्र) धरोहर राशि की एफ0डी0आर।
 2. उत्तराखण्ड में GST के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या
(पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय)।
 3. आयकर रिटर्न की प्रमाणित छाया प्रति, गत तीन वर्षों की। (2017-18)(2018-19)(2019-20)
 4. जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 5. हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें हैसियत कम से कम धनराशि रु. 20,00000 (बीस लाख रु0) होनी आवश्यक है। हैसियत प्रमाणपत्र 06 माह से पुराना नहीं होना चाहिए।
 6. कम्पनी या फर्म का CA द्वारा जारी किया गया पिछले तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर 50 लाख से कम न हो, का प्रमाणपत्र।
 7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में उद्यान/बागवानी कार्य/रख-रखाव से सम्बन्धित किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

पत्रांक :-1360/व्यवस्था-ई0 निविदा-बागवानी कार्य/2020-21, दिनांक :- 21 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष को, मा0 अध्यक्ष के अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर चस्पा करने हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
3. आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 को उक्त निविदा को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।